रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 935]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2008/आषाढ़ 16, 1930
No. 935]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2008/ASADHA 16, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2008

का.आ. 1629(अ),---केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 25 अगस्त, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1194(अ), तारीख 25 अगस्त, 2005 को अधिक्रांत करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :---

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
"29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में स्थित संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग	अंडमान और निकोबार
	सं. 223 (अंडमान ट्रंक रोड) ।	प्रशासन ।"

[फा. सं. एनएच-14012/20/2004-पी एंड एम] प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का. आ. 248(अ), तारीख 5 फरवरी, 2008 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

2563 GI/2008

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2008

S.O. 1629(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and in supersession of the notification of Government of India, in the Ministry of Shipping Road, Transport and Highways number S.O. 1194(E), dated the 25th August, 2005, published in Part II, Section'3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 2005, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, after serial number 28 and the entries relating thereto, the following-serial number shall be added, namely :----

SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
1	2	3
"29	The entire National Highway No. 223 (Andaman Trunk Road) situated within the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.	Andaman and Nicobar Administration."

[F. No. NH-14012/20/2004-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot note:— The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 248(E), dated 5th February, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2